

आदेश

14.09.2019 अभियुक्त द्वारां लोक अदालत में जुर्म स्वीकार किया गया है अभियुक्त को धारा डी0बी0एक्ट में दोषी पाते हुए उचित अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 5 दिन का कारावास व्यतीत करना होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महराजगंज।